हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 17 अंक : 03 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मार्च, 2026

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

"समता आन्दोलन समिति का शहीद स्मारक पर यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन"

जयपुर,18 मार्च। समता आंदोलन समिति की ओर से यूजीसी अधिनियम एवं एट्रोसिटी एक्ट के कथित दुरूपयोग के विरोध में दिनांक 18 मार्च, 2026 को शहीद स्मारक पर विशाल प्रदर्शन किया गया।

समता आन्दोदन समिति का कहना कि नये नियमों के कारण बिना समुचित जांच के छात्रों पर कठोर कार्यवाही की आशंका बढी है। जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के दुरूप्योग से फर्जी मुकदमों में बढोतरी का दावा किया गया। प्रदर्शन सुबह 10. 00 बजे से 12. 00 बजे तक शहीद स्मारक पर काली पट्टी बांधकर 21 हनुमान चालीसा पाठ कर किया गया। प्रदर्शन में सैकडों लोगों ने बडे ही जोश खरोस के साथ भाग लिया तथा ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि देने

की प्रार्थना की गयी।

रामनिरंजन गौड़ एवं संस्थापक सदस्य ने सरकार से यूजीसी उदघोषणा को पुनः वापस लेने की मांग की, योगेन्द्र राठौड़ वरिष्ठ उपाध्यक्ष समता आंदोलन समिति द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के दुर्पयोग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर इस एक्ट को समाप्त करने की केन्द्र सरकार से मांग की।

सुनील कुमार जैन लेखा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष ने जातिगत आरक्षण समाप्त करने की पुरजोर तरीके से मांग उठाई, संस्थापक सदस्य नवरंग लाल सिंगडोदिया ने जातिगत आरक्षण के फलस्वरूप देश के प्रतिभाशाली युवाओं के पलायन की बात की।

ऋषिराज राठौड़ जयपुर संभाग अध्यक्ष ने समाज में आरक्षण के कारण पैदा हुये जातिगत वैमनुष्यता के प्रभावों पर चर्चा की। दीपक सिंघल जयपुर समता जिला अध्यक्ष ने एट्रोसिटी एक्ट एवं यूजीसी के दुष्परिणामों से सम्बन्धित नारों द्वारा आकोशित समतावादियों जोश भरने का कार्य किया। सभा को योगेश्वर नारायण शर्मा, समता ज्योति सम्पादक ने केन्द्र सरकार को समय रहते युजीसी अधिनियम एवं एट्रोसिटी एक्ट को तुरन्त रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आगाह किया। प्रदर्शन को राधेश्याम शर्मा संभाग अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ, भारती गौड़, महिला जिला अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ, महेश चन्द पवालिया सचिव, रमेश चन्द शर्मा आदि वक्ताओं ने सम्बोधित किया।

रामप्रकाश सारस्वत समता जयपुर शहर अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव शैक्षिक प्रकोष्ठ एवं कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि यूजीसी अधिघोषणा एवं एट्रोसिटी एक्ट देश के सामान्य वर्ग के युवाओं को उनके भविष्य के बारे भयभीत कर रही है। इससे तुरन्त वापस लेने की केन्द्र सरकार से अपील की। जिससे देश के युवाओं एवं समाज में सामाजिक सदभाव बना रहे।

अतं में श्री सारस्वत ने प्रदर्शन में उपस्थित सभी समतावादियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया के लोगो धन्यवाद ज्ञापित किया।

विश्वविद्यालयों में संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण अनिवार्य, ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं

यूजीसी के नए आदेश का विभिन्न संगठनों ने जताया विरोध, ईडब्ल्यूएस को भी लाभ देने की मांग उठाई

जयपुर। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन का विवाद अब तक थमा भी नहीं है और विश्वविद्यालयों में अस्थायी भर्ती में आरक्षण नियमों की पालना को लेकर निकाले गए नए आदेश ने भी तूल पकड़ लिया है।

यूजीसी ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के नियमों का हवाला देते हुए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में अगर 45 दिन से अधिक समय के लिए कोई भी अस्थायी भर्ती की जाती है, तो आरक्षण नियमों की पालना करनी होगी।

शिक्षक, गैर-शिक्षक या प्रशासनिक कर्मचारी की अस्थायी नियुक्ति की जाती है, तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी का नियमानुसार आरक्षण लागू करना अनिवार्य है। अब विभिन्न वर्गों ने इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अनदेखा करने का आरोप लगाया है, साथ ही ईडब्ल्यूएस को भी शामिल करने की मांग की है।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से 2023-24 और 2024-25 के दौरान की गई संविदा आधारित नियुक्तियों का पूरा विवरण भी यूजीसी के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में संविदा पर भर्ती में आरक्षण लागू करने आदेश जारी किया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनदेखी की है। सरकार इस आदेश में ईडब्ल्यूएस को शामिल नहीं करेगी, तो हम आंदोलन करेंगे - विष्णु शर्मा,
प्रदेश महासचिव, शिक्षा प्रकोष्ठ
अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज

अस्थायी नियुक्तियों में भी ईडब्ल्यूएस को शामिल नहीं किया जा रहा, यह भेदभाव है। हम केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस आदेश में तुरंत बदलाव करके ईडब्ल्यूएस को भी लाभ देने की मांग कर रहे हैं। -
. सुनील उदेड्या,
संयोजक, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच

अध्यक्ष की कलम से

कौन सी मूल भावना !!!

साथियों,

हम बेहद आहत हैं। अपने आपको पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 18-20 सालों से हमने संबैधानिक शुचिता को अपना और भारत राष्ट्र का आदर्श माना और जी तोड़ मेहनत के साथ इस पर काम भी किया। लेकिन यू जी जी एक्ट के रूप में हमारे अर्थात कथित सवर्णों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसने हमारे मनोनल पर चोट मारी है।

हम न राजनीति करते है न ही करना चाहते हैं। लेकिन संविधान नीति पर चोट भी सहने को तैयार नहीं हैं। 298 सदस्यों की संविधान सभा ने देश को जाति, धर्म, सम्प्रदाय की बेडियों से मुक्त संविधान दिया। लेकिन छहों राष्ट्रीय दलों और 60 से अधिक क्षेत्रीय दलों ने अपने कुत्सित स्वार्थ को पूरा करने के लिये संविधान की मूल भावना को तार-तार कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं इसका अनुमान तो सपने में भी नहीं था। यदि वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी 2047 तक शासन करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों और अगली पीढियों को बर्बाद करके वे अपना संकल्प पूरा करना करना चाहते हैं तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। इम नहीं होने देंगे। न तो वे सार्वकालिक हैं न ही हम। लेकिन भारत हमेशा से रहा है और रहेगा। सावधान किया जाता है।

-जय समता।

सम्पादकीय

''यूजीसी एक्ट : सवर्ण तो सभी हैं''

यूजीसी एक्ट पर कथित सवर्ण समाज का प्रचण्ड लेकिन पूरी तरह शांत विरोध भारत में लोकतंत्र की पवित्रता को प्रमाणित करता है। कोई 7-8 साल पहले एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधिसम्मत और राई के दाने जैसा संशोधन किए जाने पर एससी-एसटी वर्ग ने जैसा हिंसक विरोध किया था उसे भारत भूला नहीं है। तब 19 लोगों की मौत के बाद केन्द्र सरकार सरकार ने घबरा कर अध्यादेश के माध्यम से उस संशोधन को निरस्त कर दिया था।

उपरोक्त दो घटनायें ही नहीं बल्कि अनेक दूसरे दृष्टांत भी बताते है कि सरकारे अपनी सम्पूर्णता में हिंसा की समर्थक होती हैं। हाल ही डेढ महिने से देश के 40 करोड कथित सवर्ण यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो क्या विपक्ष भी गूंगा बहरा होने का प्रदर्शन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता और विपक्ष मिलकर देश में गृहयुद्ध का सपना देख रहे हों ?

सवर्ण से पहले कथित शब्द का प्रयोग हमने जानबूझकर किया है। क्योंकि सवर्ण में भारत की हर जाति शामिल है भले ही एससी-एसटी और अब ओबीसी भी स्वयम् को अलग मानें लेकिन चार वर्णों से बाहर तो वे भी नहीं है। हाँ इतना अवश्य है कि स्वार्थ में डूबी ठस दिमाग पार्टियों के कुत्सित मानसिकता वाले नेता आरक्षित वर्ग की धोंस पट्टी के कारण उन्हे वर्णहीन मानते है ? भले ही मरे हुए मीडिया के इस दौर में सच को समझने और बोलने वाले मीडियाकर्मी अब नहीं है। लेकिन सामने दिखाई देने वाले सच को नकारा नहीं जा सकता है।

यह थोड़ा आश्चर्य चकित करता है कि यूजीसी एक्ट के विरोध को कहीं भी सरकार ने कुचलने का प्रयास नहीं किया है। यहाँ तक कि लाठीचार्ज तक की खबर नहीं हैं तो दूसरी तरफ सरकार के आनुसंगिक संगठन जैसे आर एस एस और विश्व हिन्दु परिषद और साधु संत बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाये कि यूजीसी एक्ट के विरोध का पूरा एपिसोड प्रायोजित है ??

दूसरा आश्चर्य ये है कि जिस संसदीय समिति ने यूजीसी के नियमों को सख्त (जहरीला) बनाकर एक्ट के रूप में पास किया है उसमें कथित सवर्णों के परिपक्व और वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। दिविजय सिंह, घनश्याम तिवाडी, संवित्त पात्रा आदि-आदि की विद्ववता और दूरदृष्टि क्या लम्बे अवकाश पर भेज दी गई है ? और सरकार अथवा विपक्ष की तरफसे कोई भी नेता इस भारत द्रोही कदम पर नीम चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है।

यह एक डरावना सच है कि किसी संसदीय समिति द्वारा पारित किए गये एक्ट को सुप्रीमकोर्ट बिना नोटिस जारी किए पहली ही सुनवाई में न केवल स्टे करता है बल्कि सख्त लहजे में उसे फिर से लिखने का सुझाव भी देता है। इससे संसद, शिक्षा मंत्री और प्रंतप्रधान की प्रतिष्ठा भी गिरी है। लेकिन विपक्ष का नाकारापन नहीं अपितु उसका किंकर्तव्यविमूढ हो जाना सत्ता पक्ष की जीत है।

दुनिया में लगभग 12-15 देश एक दूसरे को नष्ट कर देने की जिद लेकर हिंसक युद्ध कर रहे है जो अघोषित विश्वयुद्ध ही है। इन हालातों में यूजीसी एक्ट को लागू करने का काम कोई शुभ संकेत नही है। फिर सबका साथ सबका विकास का ढोल पीटने वाली केन्द्र सरकार देश की 40 करोड कथित सवर्ण आबादी को इस एक्ट के माध्यम से अपराधी की श्रेणी में कैसे रख सकती है ?

यूजीसी एक्ट हमें ये दुखद् सच स्वीकार करने को मजबूर करता है कि हमारी अपनी सरकार भी रोलेट एक्ट या साइमन कमीशन की तर्ज पर खुद को अंग्रेज प्रभु घोषित करना चाहती है। हमारा मानना है कि अस्थाई सरकारे भारत के स्थाइत्व को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती हैं। केन्द्र सरकार की पार्टी इस तथ्य को समझे नहीं तो उसका 2047 तय शासन का सपना पूरी तरह यादों की बारात बन कर रह जायगा ।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया -

भारत में आरक्षण नीतियों पर पुनर्विचार

एक अच्छा लोकतंत्र नागरिकों को तौलता नहीं, बल्कि गिनता है। यहाँ हर कोई समान देखा जाता है और उसका मूल्यांकन व्यक्तियों के रूप में किया जाता है, समूहों के सदस्य के रूप में नहीं। चुनौती इसमें है कि इस आदर्श और यथार्थ के बीच की खाई को प्रत्येक समाज किस प्रकार नीति के माध्यम से पाटने की कोशिश करता है। लेकिन क्या रोजगार और शिक्षा के लिये आवेदकों के बीच भेदभाव करना समानता प्रदान करने के लिये सबसे प्रभावी नीति साधन है? क्या यह संभव है कि एक समूह के पक्ष में दूसरे समूह के साथ भेदभाव किये बिना समानता लाई जा सकती है? आरक्षण व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिये अनुचित और विभाजनकारी सिद्ध हो सकता है।

-: आरक्षण से जुड़े मुद्दे :-

* **शिक्षा और रोजगार की गुणवत्ता:**- आरक्षण नीतियाँ मुख्य रूप से शिक्षा और सरकारी नौकरियों तक पहुँच को लक्षित करती हैं। हालाँकि, एक चिंता यह है कि ये नीतियाँ दीर्घकाल में शिक्षा और कार्यबल की गुणवत्ता से समझौता कर सकती हैं, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन योग्यता के बजाय कोटा के आधार पर किया जा सकता है।
* **प्रतिभा पलायन:**- कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण नीतियों से प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेनष् की स्थिति बन सकती हैए जहाँ अनारक्षित श्रेणियों के प्रतिभाशाली व्यक्ति आरक्षण प्रणाली के भेदभाव से बचने के लिये अध्ययन या काम की तलाश में विदेश का रुख कर सकते हैं। इससे देश के भीतर प्रतिभा की हानि की स्थिति बन सकती है।
* **आक्रोश और विभाजन:**- आरक्षण कभी.कभी समाज के भीतर सामाजिक और आर्थिक विभाजन पैदा कर सकता है। यह विभाजन उन लोगों में आक्रोश उत्पन्न कर सकता है जो क्रियान्वित नीतियों के लाभ से वंचित रह जाते हैं और इससे सामाजिक एकजुटता एवं विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
* **अक्षमताएँ और भ्रष्टाचार:**- आरक्षण नीतियाँ कभी.कभी अक्षमताओंए भ्रष्टाचार और जाति प्रमाणपत्रों में हेरफेर के कारण दूषित भी हो जाती हैं। ये मुद्दे प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं और विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
* **लक्ष्यीकरण का अभाव:**- आरक्षण नीतियाँ प्राय: व्यापक श्रेणियों पर निर्भर करती हैंए जो उन श्रेणियों के सबसे वंचित व्यक्तियों को सटीक रूप से लक्षित नहीं कर पाती हैं। संभव है कि आरक्षित श्रेणियों के कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह वंचना के शिकार नहीं होंए फिर भी इसका लाभ उठा रहे हों।
* **कलंक और रूढ़िवादिता:**- आरक्षण से कभी.कभी आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये कलंक और रूढ़िवादिता का सामना करने की स्थिति बन सकती हैए जो उनके आत्म.सम्मान और समग्र विकास को प्रभावित कर सकता है।
* **आर्थिक विकास बनाम सामाजिक विकास:**- आरक्षण नीतियाँ सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखती हैंए लेकिन संभव है कि वे प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक असमानताओं को संबोधित नहीं करें। असमानता को दूर करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक विकास भी महत्त्वपूर्ण है।
* **राजनीतिक शोषण:**- आरक्षण नीतियों का उपयोग कभी.कभी राजनीतिक लाभ के लिये किया जाता हैए जहाँ दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

आरक्षण की बढ़ती मांग के पीछे कारण

* आरक्षण को अब गलत सोच वाली विकास नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान के रूप में देखा जाने लगा है।
* हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में, उनकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद, तीन बातें लोगों को चिंतित कर रही हैं:-
  - ०० तीव्र कृषि संकट,
  - ०० रोजगार वृद्धि में स्थिरता और
  - ०० विकास पथ में विकृतियाँ।
* इस पृष्ठभूमि में, सरकारों के लिए आरक्षण की बात करनाए सुधार करने से कहीं अधिक आसान है।
* उच्च जातियों में आरक्षण की बढ़ती मांग भी विशेषाधिकार खोने के डर और बदलाव से निपटने में असमर्थता से उत्पन्न हो रही है
* उच्च जातियों के लोग विशेषकर सरकारी नौकरियों के मामले में वंचित महसूस करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पिछड़े वर्गों के समान लाभ नहीं मिलता।

आरक्षण पर सुझाव

* आरक्षण का लाभ वंचित जातियों के अधिकांश वंचित बच्चों को मिलना चाहिए, न कि जातिगत टैग वाले कुछ विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों को।
* उच्च पदस्थ अधिकारी परिवारों, उच्च आय वाले पेशेवरों और एक निश्चित आय से ऊपर के अन्य लोगों को विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
* आरक्षण के माध्यम से प्रत्येक समुदाय के जरूरतमंद व्यक्ति की निष्पक्ष एवं व्यावहारिक तरीके से मदद करना संभव एवं आवश्यक है।
* आरक्षण की प्रक्रिया से वास्तविक आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को छांटकर न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए।
* जमीनी स्तर पर शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव समय की मांग है।
* जागरूकता पैदा करने की भी आवश्यकता है ए क्योंकि अनारक्षित वर्ग इस प्रावधान का विरोध करता रहता हैए जबकि आरक्षित वर्ग के जरूरतमंद वर्ग को इस बारे में शायद ही पता है कि इस प्रावधान से लाभ कैसे उठाया जाए या यहां तक कि इस तरह के प्रावधान मौजूद भी हैं या नहीं।
* सभी जातियों के बीच से सम्पूर्ण क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर करना तथा उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश या नौकरियों में आरक्षण देने के बजाय उनकी क्षमताओं का विकास करना जैसे क्रांतिकारी समाधान हैं ।

आगे बढ़ने का रास्ता

* आरक्षण उचित है, क्योंकि यह समाज के दलित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए उचित सकारात्मक भेदभाव प्रदान करता है।
* लेकिन जब यह समाज को नुकसान पहुंचाता है और संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दूसरों की कीमत पर कुछ लोगों को विशेषाधिकार सुनिश्चित करता है, तो इसे यथाशीघ्र समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
* आरक्षण से बाहर रखे गए समुदायए आरक्षण श्रेणी में शामिल जातियों के प्रति द्वेष और पूर्वाग्रह रखते हैं।
* जब अधिकतर लोग आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ेपन की आकांक्षा रखते हैंए तो देश स्वयं स्थिर हो जाता है।
* प्रवेश संबंधी बाधाओं में ढील देकर योग्यता आधारित व्यवस्था को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिएए बल्कि वंचितों को वित्तीय सहायता देकर इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
* पिछड़ों के लिए न्याय, अगड़ों के लिए समानता तथा सम्पूर्ण व्यवस्था की दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य है ।

- समता डेस्क -

पौराणिक कथन: 'ऊर्ध्वकेशी'

सोलह स्वर शक्तियों में से एक और सोलह शक्ति देवियों में से एक का नाम

संसद और विधानसभा में,
सभी जात के पहलवान है।
हाथी पर बैठे दिखते पर,
असली में वे पीलवान है।।

कविता

कविता- दोहे

आरक्षण के दंभ ने,
किया देश बेचैन ।
सभी योग्य छुपते फिरें,
करके नीचे नैन ।।
प्रतिभाओं के पाँव में,
आरक्षण है कील।
सरकारों की फाइलें,
संसद बनी वकील ।।
आत्मघात कर मर रहे,
चैनल बैठे मौन।
छात्रों की फसलें कटीं,
न्याय उड़ावे ड्रोन ॥
भारत भू पर देखिये,
जात बड़ा हथियार।
प्रतिभाओं को मारते,
करे न तनिक विचार ।।
संगम पर उमड़ा बड़ा,
भारत जन सैलाब।
आरक्षण का कुम्भ में,
दिखा न कहीं जवाब ।।
प्रेम प्रीत को खा गया,
जातिवाद का साँप।
रक्तबीज है साँप विष,
रहा कलेजा काँप ॥
जातिबाद पर सब जगह,
रहते नेता मौन।
मन में है पीड़ा बहुत,
लेकिन पूछे कौन।।
देब देवियाँ छोड़ कर,
जपो जात का नाम।
सबजन मिलकर कर रहे,
सच का काम तमाम ।
आरक्षण के दंभ ने,
किया देश बेचैन ।
सभी योग्य छुपते फिरें,
करके नीचे नैन ।।

– समता डेस्क –

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

संविधान के मूल प्रारूप के अनुच्छेद 10 – जो आरक्षण से सम्बन्धित था – के प्रावधान पर संविधान सभा में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने स्वयं आगाह किया था कि समानता का सिद्धांत या कानून कहीं इतना व्यापक न हो जाए कि वह पूरे सिद्धांत या कानून को ही निगल जाए।

सरकार को संविधान के दोनों मौलिक सिद्धांतों पर साथ-साथ ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन की कुशलता और सभी के लिए अवसर की समानता। न्यायमूर्ति ए.पी.सैन ने कहा कि ''संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं समानता की बात की गई है।'' सामाजिक न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त करते समय सरकार को सभी के हितों को समान रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा किए गए अनुपयुक्त और पक्षपातपूर्ण प्रावधान से सामाजिक ढांचा धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा।

अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्दों की ओर संकेत किया है-यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी समूह या वर्ग के लिए आरक्षण देश की कुल जनसंख्या में उसके अनुपात के अनुसार करने का होता तो वे स्वयं ये शब्द जोड़ सकते हैं-'के अनुपात में'।

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली काररवाई – जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है – से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जाति-आधारित आरक्षण पर आशंका प्रकट करते हुए लिखा था कि ''इससे एक ओर तो जातिप्रथा को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर, हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों को आरक्षण के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकेगा; जबकि उनमें भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं।''

''आरक्षण की सीमा निर्धारित करना मूल रूप से सरकार के निर्णय-क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना ही होना चाहिए।

'' हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

''अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दिये जाने वाले समानता के मौलिक अधिकार का अपवाद है; और किसी मौलिक अधिकार के अपवाद को इतने व्यापक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि उससे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होने लगे।''

यह एक मूलभूत विषय है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। फिलहाल आइए देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में और बार-बार निम्नलिखित निर्देश दिए हैं – मलाईदार परत की पहचान की जानी चाहिए।
पहचान की यह प्रक्रिया और परिणामस्वरूप उसका बहिष्कार-सब कुछ यथार्थ होना चाहिए।
अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आय एवं अन्य कारकों का निरर्थकता की हद तक 'उच्च स्तर' प्रस्तुत करके उस शर्त का अपवंचन करने का प्रयास करने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि ''इन सरकारों ने मंडल मामले में बनाए गए कानून का पूरा-पूरा उल्लंघन किया है।''
इस मलाईदार परत की पहचान का कार्य उद्देश्यमूलक होना चाहिए। – इसमें विभिन्न मामलों में अग्रणी वर्ग की पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। – इस प्रकार तैयार की गई सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। एक बार पिछड़ा तो हमेशा पिछड़ा-यह सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है।

शून्य अंक पर चयन,माइनस वाला मांग रहा नियुक्ति

चतुर्थ श्रेणी भर्ती: न्यूनतम योग्यता मानक तय करे: हाईकोर्ट

जयपुर। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए प्रशासनिक सुधार के प्रमुख सचिव से शपथ पत्र मांगा है।

हाइकोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शून्य अंक वाले अभ्यर्थी का चयन हो गया और माइनस अंक वाले अभ्यर्थी ने नियुक्ति दिलाने की गुहार की है। कोर्ट ने इस स्थिति पर हैरानी जताते हुए कहा कि या तो परीक्षा को इस स्तर की नौकरी के लिए अनावश्यक रूप से कठिन बनाया गया या फिर भर्ती प्रक्रिया में उचित मानक निर्धारित नहीं किए। दोनों ही परिस्थितियां स्वीकार्य नहीं है।

कार्मिक जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से पूरी कर सके, इसके लिए सरकारी भर्तियों में न्यूनतम मानक निर्धारित करना आवश्यक है।

न्यायाधीश आनंद शर्मा ने विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले पर अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कोर्ट को बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आरक्षित वर्ग की कट ऑफ 0.0033 अंक रही लेकिन याचिकाकर्ता के माइनस अंक आने के कारण उसे चयन से वंचित कर दिया। हालांकि राज्य सरकार ने भर्ती के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किये है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट के पिछली सुनवाई में पूछे गये प्रश्न शून्य अंक वाले को कैसे किसी पद के लिए उपयुक्त माना जा सकता है के जवाब में प्रशासनिक सुधार विभाग ने कोर्ट को बताया कि वह तो केवल सफल अभ्यार्थियों को विभाग आबंटित करता है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुये कहा कि हमने संबंधित विभाग से शपथपत्र मांगा था लेकिन विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे है। अब सात अप्रेल तक संबंधित विभाग शपथपत्र पेश करें अन्यथा कोर्ट को सख्त कदम उठाने होंगे।

कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि लगभग शून्य या नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को किसी भी जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आरक्षित वर्गों के लिए भी न्यूनतम योग्यता मानक तय करे, जिससे चयनित उम्मीदवार बुनियादी कार्य करने में सक्षम हों। कोर्ट ने कहा कि सरकार न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित न करने के पीछे कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं बता पाई। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर से कहा कि संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव का हलफनामा पेश किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि न्यूनतम अंक निर्धारित क्यों नहीं किए गए, इस गंभीर चूक के पीछे क्या कारण थे और भविष्य में ऐसी आपत्तिजनक स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

समता ज्योति के स्वामित्व तथा अन्य जानकारी से संबंधित विवरण

फार्म-4

(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थान	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
2. प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3. मुद्रक का नाम	:	समता आन्दोलन समिति
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
4. प्रकाशक का नाम	:	समता आन्दोलन समिति
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
5. सम्पादक का नाम	:	योगेश्वर शर्मा
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	जी-3, संगम रेजिडेन्सी, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर ।
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी है तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार है।	:	समता आन्दोलन समिति 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर।

मैं पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आन्दोलन समिति एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

मार्च, 2026 पाराशर नारायण शर्मा

अध्यक्ष, समता आन्दोलन समिति

जातीय उत्पीड़न के 50 प्रतिशत व महिला अत्याचार के 38 प्रतिशत मामले पुलिस जांच में झूठे, केस बंद

कानून लोगों की मदद के लिए है, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर झूठे मामले दर्ज करा रहे हैं। वर्ष 2025 में जिले में दर्ज कुल 10 हजार 150 मामलों में से 1,735 मामले यानी 17.09 प्रतिशत केस जांच में झूठे निकले। आपसी रंजिश, जमीन विवाद या साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है।

चिंताजनक बात ये सामने आई कि सबसे ज्यादा झूठे मामले महिला उत्पीड़न के दर्ज कराए गए। वर्षभर में महिला अत्याचार के कुल 1,596 केस दर्ज हुए। जिनमें से 608 मामले जांच में झूठे पाए गए। इसी तरह एससी-एसटी एक्ट के 380 मामलों में भी 191 केस यानी लगभग आधे केस झूठे पाए गए। इसी तरह हत्या के कुल 55 मामलों में 25 झूठे निकले हैं। पुलिस जांच के अनुसार रंजिश, जमीन या विरोधी पक्ष को फंसाने के उद्देश्य से हत्या के झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे। यानी सबसे संवेदनशील अपराधों में ही कानून का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है।

झूठा आरोप लगाने पर सजा का प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता में झूठे आरोप लगाने और लोक सेवकों को गुमराह करने पर सजा का प्रावधान है।

धारा 217: किसी निर्दोष के खिलाफ झूठी सूचना देने पर 1 वर्ष तक की कैद या 10 हजार का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

धारा 248: किसी व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से झूठा आरोप लगाने पर 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है।

एक्सपर्ट व्यू: मनोविज्ञानिकों का सहयोग लेना चाहिए

ऐसे लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। दूसरों पर झूठे केस करने के पीछे मुख्य मनोवैज्ञानिक कारणों में बदला, असुरक्षा, स्वार्थ और मानसिक बीमारियां शामिल हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी गलतियों को छिपाने, नियंत्रण हासिल करने या हीन भावना से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। यह व्यवहार कभी-कभी पैथोलॉजिकल झूठ बोलने की आदत से भी प्रेरित होता है। हालांकि, झूठे केस दर्ज कराने से कानून कमजोर नहीं हो रहा है। लेकिन, ऐसे मामलों की जांच में पुलिस को मनोविज्ञानिकों का सहयोग लेना चाहिए। ताकि, वे बता सकें कि असल में कौन सच या झूठ बोल रहा है। - प्रो. प्रेरणा पुरी, हैड,डिपॉर्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। (आभार- भास्कर)

पुलिस मुख्यालय की बैठक में जातिगत टिप्पणी से मचा बवाल, एसपी के खिलाफएससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज

जयपुर। जयपुर पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान हुए जातिवादी विवाद के बाद पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे है, पुलिस के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में जातिगत टिप्पणी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया।

यह आरोप एसपी स्तर की एक महिला अधिकारी पर लगे हैं, जिन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध जातिगत टिप्पणी की जिसके बाद बैठक का माहौल बिगड़ गया और आनन-फानन में महिला अधिकारी को मीटिंग से बाहर निकालना पड़ा। यह घटना कोई आम घटना नहीं है बल्कि जिस वर्दी के भरोसे कानून जिंदा है, वहीं जब संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहा हो तो फिर आम आदमी के अधिकार कहां सुरक्षित है?

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

यह पूरा मामला पुलिस दूरसंचार विभाग से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, जयपुर के ज्योति नगर थाने में पुलिस दूरसंचार निदेशक दौलतराम अटल की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक एसपी टेलीकम्युनिकेशन नीतू बुगालिया के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह विवाद 5 मार्च की शाम को पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण तकनीकी बैठक के दौरान शुरू हुआ था। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी.साइबर क्राइम और तकनीकी सेवाएं वी.के. सिंह कर रहे थे, जिसमें बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य की पुलिस संचार प्रणालियों के अपग्रेडेशन और तकनीकी सुधारों पर चर्चा करना था। प्रत्यक्षदर्शियों और शिकायत के अनुसार, जब निदेशक दौलतराम अटल अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी एसपी नीतू बुगालिया ने उन्हें कथित तौर पर बीच में टोकना शुरू कर दिया।

नीतू बुगालिया पर बैठक में आरक्षण को लेकर टिप्पणी का आरोप

निदेशक दौलतराम अटल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि नीतू बुगालिया ने भरी बैठक में उन पर तंज कसते हुए कहा कि वे आरक्षण के कारण ही इस निदेशक के पद तक पहुंचे हैं। अटल का कहना है कि बुगालिया लगातार उनके प्रेजेंटेशन में बाधा डाल रही थीं और अमर्यादित व्यवहार कर रही थी। जिसके बाद अब पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in